Rs 15/-

(125)

न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र0क्र0 1/08 निगरानी 289-I/08

किशुन देव (फौत)

वारिसान

1- महिला दुलरिया बेवा किशुन देव 70 वर्ष
2- रामलोचन पुत्र किशुनदेव 50 वर्ष
3- प्रेमवती बेवा विजय शंकर 40 वर्ष
4- सीताशरण -35 वर्ष } पुत्रगण
5- उमेश 30 वर्ष } किशुनदेव
6- सन्तोष 28 वर्ष }
निवासी ग्राम सेमरिया तहसील मऊगंज - रीवा ----आवेदकगण.

श्री ओ० पी० सिंह, अभिभाषक
द्वारा आज दि० 1-2-08 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

ओ0 पी0 सिंह
एडवोकेट
हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ग्वालियर
1.2.08

बनाम

त्रिवेणी प्रसाद पुत्र देवदत्त
निवासी ग्राम सेमरिया तहसील मऊगंज
जिला रीवा -----अनावेदक.

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता-1959 विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा जो कि प्र0क्र0 37/03-04 अपील में दिनांक 5.1.08 को पारित किया गया।

माननीय,

आवेदकगण T का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार पेश हैं:-

------2

5/1/08

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 89–एक/2002 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५–9–2016	अनावेदक के अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 37/2003–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 05.01.08 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक के द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 109, 110 तथा 165 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर विवादित आराजी का नामांतरण उसके नाम किये जाने का निवेदन किया गया । जिस पर तहसीलदार द्वारा विचारोपरांत दिनांक 28.09.02 को अनावेदक के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मऊगंज के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो स्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 05.01.08 द्वारा स्वीकार किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया कि अपर आयुक्त व तहसीलदार ने अधिनियम की धारा 109, 110 व 165 के उपबन्धों को समझने में गम्भीर भूल की है । प्रकरण में अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन	

दिनांक 10.01.01 के पद क्रमांक 1 में यह स्वीकार किया है कि भूमि सर्वे नं0 198 रकबा 0.25 पर आवेदक शासकीय रिकार्ड में बहैसियत भूमि स्वामी दर्ज चला आ रहा है । यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदक ने विवादित आराजी 50 वर्ष पूर्व आपसी हिस्सा बांट में मौखिक रूप से प्राप्त की । यदि यह सही है तो आवेदक एक लम्बे अरसे से शासकीय रिकार्ड में बतौर भूमिस्वामी दर्ज व मौके पर काबिज कैसे चला आ रहा है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि वर्ष 1968–69 में जिलाधीश द्वारा आदेशित किया गया कि आवेदक के अलावा किसी अन्य का कब्जा दर्ज नहीं किया जाये। इसके बावजूद अनावेदक द्वारा रेवेन्यू अधिकारियों से साठ–गांठ कर सिर्फ दो वर्ष 1970–71 में अपना कब्जा दर्ज करा लिया गया था । अनावेदक सिर्फ दो वर्ष के अवैधानिक दर्ज कब्जा का अनुचित लाभ लेना चाहता है। पटवारी का प्रतिवेदन मौके की स्थिति व शासकीय रिकार्ड के खिलाफ पेश किया गया है। जो कि महज उपधारणाओं पर आधारित है, तथा इसी फर्जी दस्तावेज को अनावेदक के स्वत्व का आधार बनाया गया है । अतएव निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

5/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का बारिकी से अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में संलग्न खसरा वर्ष 69–70, 73–74 से 76–77 में भूमिस्वामी के रूप में आवेदक तथा काबिजदार के रूप में अनावेदक का नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पर कब्जा दखल अनावेदक का वर्ष 69 से चला आ रहा है। आवेदक ने अनावेदक का नाम

खसरे के कॉलम नं0 12 से काटने का कोई प्रयास भी नहीं किया है और न ही प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न है और प्रतिवेदन दिनांक 27.08.02 व स्थल पंचनामा से भी स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पर कब्जा दखल अनावेदक का चला आ रहा है । विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में विचारण पश्चात यह प्रमाणित किया गया है कि विवादित आराजी पर अनावेदक काबिज दखल है । इसलिये अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने अपील किस आधार पर स्वीकार की है इसकी कोई स्पष्ट विवेचना अपने आदेश में नहीं की है । इसी कारणवश अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है । क्योंकि कब्जा से स्वत्व अर्जित नहीं होता । जब–तक सिविल न्यायालय द्वारा इस विषयक कोई आदेश पारित न कर दिया जावे । इस प्रकार अपर आयुक्त का आदेश विधिसम्मत है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.08 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य